

## कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (INDORE), मध्यप्रदेश

क्रमांकः/263202173/स्कुल आई.डी. = 10432

दिनांक:- 09/04/2019

प्रबंधक

(VIDYA VUAY BAL MANDIR)

विषयः निःशुल्क और अनिवारे बात शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के तिए निःशुल्क और अनिवार्य बान शिक्षा का अधिकर निरुम, 2010 के निर्मम 11 के उपनिरम (4) के अधीन स्कून मान्यता प्रमाण पत्र। महोदयामहोदयाः

आपके आवेदन पत्र दिनांक 17/01/2019 तथा इस संबंध में अंकृत से प्रधानवर्ती पत्र ट्यवहार/ निरोक्षण के संदर्भ में, में आपकी स्कृत -MDYA VLAY BAL MANDIR, S.S. 4, S-4 SCHEME NO.78, VLAY NAGAR, INDORE के कहा Nursery से कहा 8 तक के लिए दिनोक 01/04/2019 ही 31/13/2022 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता है।

उपरोक्त स्वीकृति जिस्नाविखित धती की पृति के अध्यदीम होगी:

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा करना 8 से आगे की मान्यतारमंबद्धता की बोर्ड बाध्यता किसी की कप में विवक्षित नहीं होगी। कुल निष्कुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का साधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुक्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का
- स्कूल विश्वल्क और अनिवार बाल शिक्षा का आधिकार अधानयम, 2009 (उपावस 1) तथा जा सुल्क और आलवाय बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपावस 2) के उपावसी का पालन करेगा।
  स्कूल, अपने पड़ींस की सीमा के विवित समृद्ध तथा कमजोर बार्ग के बालकों को करा। में न्यून्तम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस देश में, स्कूल बंदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रविचित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंशिक शिक्षा जिस क्ष्म में उसके वार्षिक आवारी ज्याब को ग्या करने हैं हूं इस प्रकार बार्षिक आवारी स्वस्मक का अनुदान प्राप्त होता है किंतु वार्षिक पर्वार प्रविचित्र की अधीन होगा बंशत कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल प्रि स्कूल) शिक्षा दें। जाती है वहां अधिनिवस की धारा 12 के उपायंस (1) के खण्ड (के) से (ग) के उपायंस प्रि. जाता है किंतु धारा 12 के उपायंस (1) के खण्ड (के) से (ग) के उपायंस प्रि. जाता है किंतु धारा 12 के अधीन के कि जाएगी तथा ऐसी

पैरा 3 में निर्देष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कनान होगा।

- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिमावक के साथ किसी छानबीन
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देनें से इंकार नहीं करेगा-
  - आयु के सब्त के अभाव में;
  - यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के सुप्तात ऐसा प्रवेश सहा गया है: (ग)
  - धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिधित करेगा कि...
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी केक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक की पारीरिक या मानसिक कप से प्रताडित नहीं किया जाएगा
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशकाविशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा,
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; वशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहुता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहुता प्राप्त करनी होगी ;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिदिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवंट टीचिंग की गतिविधियाँ में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लैंगे/लैंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया



स्कल व्हास अधिनियम की धारा 19 में विनिद्धिष्ट स्कल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंसे। अंतिम निरोक्षण के मामय स्कल में

	सुविधाएं	7.0		ं पोर्टल	में दर्ज	वा	स्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति		स्वरं का अवन			स्वयं का भवन	
) स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)			30000			50000	
0 स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)		म)	30000			30000	
1 खेल मैदान का धौत्रफल (वर्ग फीट में)			20000		20000		
<b>5</b> .	अधीसरचना र	र्घ विव	रण	dia a	1.64		
22,05916			MTIS as	पोर्टल <b>में दर्ज</b>		वास्तविक स्थिति	
		pe	r KTE	संख्या	औसत आकृर (वर्ग फीट में)	ा संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
	कदा। आठवीं तक रूपबोग में आ रहे कदा। कदा	17.00		.25	576	12 🙀	500
	कार्यालय क्रेंट्रा सह अण्डार करा सह प्रधानाध्यापक करा			3	576	2.3	200
	भीजनांसर्वे अ <sub>हि</sub> अण्डस			. 0	0.4	- 1 0	0
Ĺ	श्रीसम्बद्धाः अन्यस्	जाए जाएक				पारक में देवें	वास्त्रविके सिथा
0.0	क्या सभी सुविधाओं हक पहुंच बाधा रहित हैं हो	नहीं				हों .	हा
	पठन पाठन सामग्री हिस्तादेशित सूची अपलोड करें	7		all a	4547	हाँ	हा .
	खेलकृद एवं खेल अपन्त्रण (हस्तासरित सूची अपल	ोड करें)	10 - 1 10 - 1			हाँ ।	हा
	पुस्तकों की संख्या					2000	1500
	् पत्रिकाएं/समाचार पत्र					6	3
100	पेयजल सुविधा का प्रकार					Tube Well	Tube Well
977	र्ययजल सुविधा की संख्या					10	
	शीचालय का प्रकार (आरतीय/पश्चिमी/नहीं)			1 6	MARLE IN	Indian	Indian
	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या		Special Control	1		25	25
0	लड़कियाँ के लिए पृथक शीचालयाँ की संख्या	1127		The second second	i di Maralia	25	25
1	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयाँ की संख	या					0

लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्यारा सत्थापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भीजी जाएगी। आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर 263202173... एवं डाइंसकोड (DISE)23260103720हैं। इस कार्यालय के साथ एत्राचार में यह कोड नम्बर

संदक्षित किए जाएं।

ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्रगैजिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपंक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शतौं की निरन्तर पूर्ति सुनिधित करने हेतुं जारी किए जाएं।

सोसायटी/नवास, यदि कोई ही, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।

अन्य शर्ते संलग्न उपावंध "तीन" के अनुसार होंगी।

क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हों/नहीं

अधिनियम एवं नियम के उपवंधों और मान्यता की शतौं का उल्लंधन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला धिक्षा अधिकारी

जिला INDORE मध्यप्रदेश



12